रेल दावा अधिकरण, नागपुर पीठ, नागपुर के समक्ष

कोरम: श्री सैयद निशात अलि, माननीय सदस्य (तकनीकी) रेल दावा अधिकरण,नागपुर

दावा आवेदन संख्या	- ओए (।। यू)/ एनजीपी/69/2024
दावा दर्ज करने की तिथि	- 18.03.2024
निर्णय तिथि	- 18.03.2025

वादी : 1. शिवशंकर सुपुत्र मुरली निषाद
उम्र 46 वर्ष, व्यवसाय- मजदूर

2. फूला पत्नी शिवशंकर निषाद
उम्र 38 वर्ष, व्यवसाय- गृहिणी

दोनों निवासी- पोस्ट- कोलीयरी रोड़, एलसीएच के पास
भगत सिंह वार्ड, बल्लारपुर,
जिला- चंद्रपुर (महाराष्ट्र) 442 701

बनाम

प्रतिवादी: भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक,
मध्य रेलवे, सी.एस.टी. मुबंई

आवेदक की ओर से एडवोकेट आर. जी. बागुल (अनुपस्थित)
प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट एन. रामटेके

निर्णय

दिनांक 18 मार्च 2025 को नागपुर में पारित

दावे की राशि रु.8,00,000/- + ब्याज

श्री सैयद निशात अलि माननीय सदस्य (तकनीकी)

आवेदकों ने यह दावा दशरथ सुपुत्र शिवशंकर निषाद की अनपेक्षित दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के पिता एवं माता का मृतक पर आश्रित होने के नाते प्रतिवादी रेलवे के विरूद्ध रेल दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 16 के तहत इस अधिकरण में मामला दाखिल किया है और प्रतिवादी रेलवे से रु.8,00,000/- के मुआवजे की मांग की है ।

आज दिनांक 10.03.2025 को बार-बार बुलाने पर भी आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । अतः इस मामले में रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम 18(1) के तहत कार्यवाही की जाती है, जो इस प्रकार है –

> 18(1) जहां आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य तारीख को जिसको ऐसी सुनवाई स्थगित की जाए, आवेदक उस समय उपस्थित नहीं होता है जब आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार हुई थी जहां अधिकरण अपने विवेकानुसार, व्यतिक्रम के कारण आवेदन को खारिज कर सकेगा या उसकी सुनवाई कर सकेगा और गुणागुण के आधार पर विनिश्चय कर सकेगा ।

1. **दावा आवेदन के अनुसार दुर्घटना के मुख्य अंश :-**

क. दुर्घटना की तिथि	:	04.10.2023
ख. मृतक का नाम एवं उम्र	:	दशरथ सुपुत्र शिवशंकर निषाद , उम्र 20 वर्ष (अविवाहित)
ग. ट्रेन एवं यात्रा का विवरण	:	दिनांक 03.10.2023 को मृतक अपने एक रिश्तेदार के साथ लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बल्लाशाह रेलवे स्टेशन तक की यात्रा ट्रेन सं. 01127 से कर रहा था ।
घ. टिकट का विवरण	:	मृतक ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बल्लारशाह तक की यात्रा हेतु अनारक्षित टिकट सं. 85940201 रु.500/-, दो व्यक्तियों के लिए दिनांक 03.10.2023 खरीद किया था जिसे दावा आवेदन के साथ एक्जीबीट ए-4 पर दाखिल किया गया है ।
ङ. संक्षिप्त में घटना का विवरण	:	दिनांक 03.10.2023 को मृतक लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बल्लारशाह तक की यात्रा अपने रिश्तेदार के साथ ट्रेन सं. 01127 से वैध रेल यात्रा टिकट सं. 85940201 रु. 500/- दो वयस्क के लिए खरीदकर कर रहा था । वह ट्रेन की जनरल बोगी में बैठकर यात्रा कर रहा था । दिनांक 04.10.2023 को सुबह वह ट्रेन के शौचालय में जाते समय ट्रेन को लगे जोर के झटके के कारण उसके शरीर का संतुलन बिगड गया जिसके कारण वह मलकापुर और नांदुरा स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और गंभीर रुप से जख्मी हो गया । सरकारी अस्पताल, नागपुर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई ।
च. अधिकरण का क्षेत्राधिकार	:	दुर्घटना स्थल अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आता है।

2. **प्रतिवादी रेलवे के जवाब के मुख्य अंश :**

अ. प्रतिवादी रेलवे ने लिखित कथन में दावा आवेदन के सभी तथ्यों एवं अनपेक्षित दुर्घटना को मानने से इंकार किया और कहा कि इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नही है । दिनांक 04.10.2023 को एसएसई /पीवे की रिपोर्ट के अनुसार मलकापुर रेलवे स्टेशन से नांदुरा रेलवे स्टेशन के बीच का ट्रैक रेल यातायात के लिए फिट था । अतः ट्रेन को जर्क या झटका लगने का कोई प्रश्न ही नही उठता । ट्रेन सं. 01127 के ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट या किसी अन्य यात्रियों द्वारा ट्रेन से किसी यात्री के गिरने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नही हुई थी । वर्तमान मामलें में आवेदक अनपेक्षित दुर्घटना को साबित नही कर पाया है । यह मामला मृतक की लापरवाही, स्वयं अधिरोपित चोट और आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आता है । अतः प्रतिवादी रेलवे आवेदकों को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है ।

ब. **डीआरएम रिपोर्ट का सार :-** डीआरएम रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार ट्रेन सं. 01127 के ट्रेन मैनेजर के बयान के अनुसार घटना दिनांक को उन्हें किसी व्यक्ति के ट्रेन से गिरने की सूचना किसी के द्वारा प्राप्त नही हुई थी । उनकी ट्रेन में कही भी ACP नही हुई थी तथा उनकी ट्रेन को कोई जर्क नही लगा था । उक्त घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नही है । घटना स्थल पर CCTV केमेरा स्थापित नही होने के कारण CCTV फुटेज उपलब्ध नही है । ICMS डाटा में उक्त घटना दर्ज नही हुई है । मृतक दशरथ शिवशंकर निषाद को ट्रेन से गिरते हुए या ट्रेन के चपेट में आते हुए देखने वाला कोई प्रत्यक्षदर्शी नही हैं । अतः उक्त घटना में रेल प्रशासन का कोई दोष नही है अतएवं रेल प्रशासन मुआवजा देने के लिए बाध्य नही है ।

स. **ट्रायल के दौरान किए गए प्रतिवाद या डीआरएम रिपोर्ट से भिन्न तथ्य :- कुछ नहीं**

3. **मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किए गए मामले एवं उनका अंश :- कुछ नहीं**

4. **प्रस्तुत की गई गवाही का विवरण:-**

आवेदक फूला पत्नी शिवशंकर निषाद की गवाही दिनांक 18.12.2024 को ए.डब्ल्यू-1 के तौर पर पेश की गई और ए-1 से ए-15 तक दस्तावेज दाखिल किए गए एवं अधिकरण के समक्ष एफिडेविट दाखिल किया गया । अधिकरण के समक्ष अपनी गवाही में उसने बताया कि वह अनपढ़ है और मृतक दशरथ उसका बड़ा बेटा था । मृतक 03 तारीख को यात्रा कर रहा था और 04 को दुर्घटना हुई थी परंतु उसे महिना याद नही है । उसका मृतक पुत्र लोकमान्य तिलक से बल्लारशाह तक की यात्रा कर रहा था । घटना दिनांक को वह मृतक के साथ यात्रा नही कर रही थी । उसने घटना को होते हुए नही देखा था । मृतक के मित्र राजेंद्र ने उसे बताया कि ट्रेन में अत्याधिक भीड़ थी और भीड़ के कारण उक्त घटना घटी थी । अधिकरण में दाखिल अपने एफिडेविट में फूला पत्नी शिवशंकर निषाद ने बताया कि दिनांक 03.10.2023 को मृतक दशरथ सुपुत्र शिवशंकर निषाद लोकमान्य तिलक से बल्लारशाह तक की यात्रा ट्रेन सं. 01127 से कर रहा था । दूसरे दिन दिनांक 04.10.2023 को सुबह जब वह शौचालय को जा रहा था उसी समय ट्रेन को अचानक लगे जोर के झटके के कारण वह मलकापुर रेलवे स्टेशन से नांदुरा रेलवे

स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। दुर्घटना में उसके शरीर को गंभीर चोटें लगी जिसके कारण घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

5. **निर्धारित किए गए मुद्दे एवं मुद्दों पर विचार कर लिया गया निर्णय –**
दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर निर्धारित किए गए मुद्देः-

मुद्दा क्र.1 क्या आवेदक रेल अधिनियम की धारा 123 (बी) के अनुसार मृतक के आश्रित हैं ?

6. रिकार्ड पर दाखिल किए गए रजिस्ट्रार (जन्म व मृत्यु) गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, नागपुर द्वारा जारी मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र (एक्जीबीट ए-12), मृतक का आधार कार्ड (एक्जीबीट ए-11) तथा आवेदकों के आधार कार्ड (एक्जीबीट ए-09 और ए-10) एवं आवेदकों का राशनकार्ड (एक्जीबीट ए-15) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक क्र.1 मृतक के पिता और आवेदिका क्र. 02 मृतक की माता है।

आवेदक क्र.	नाम	मृतक के साथ रिश्ता
01	शिवशंकर मुरली निषाद	पिता
02	फूला पत्नी शिवशंकर निषाद	माता

7. आवेदकों द्वारा रिकार्ड पर दाखिल राशनकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मृतक पर उसके अवयस्क भाई और बहन आश्रित है। परंतु आवेदक के अधिवक्ता ने माननीय मुबंई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ का मामला सं. FIRST APPEAL NO. 37 OF 2021 दिनांक 03.02.2022 को पारित प्रस्तुत किया है। इस आदेश की मद सं. 12 में माननीय उच्च न्यायालय ने उद्धत किया है *"It is pertinent to note that clause (d) of Section 125 of the Railway Act contemplates filing of such application by any dependent of the deceased. Sub-Section 2 of Section 125 further stipulated that every application by a dependent for compensation under this Section is for the benefit of every other dependent."* कार्यवाही के दौरान किसी अन्य व्यक्ति ने मृतक के आश्रित के रूप में दावा नहीं किया। प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्थापित हो सके कि आवेदक मृतक पर आश्रित नहीं हैं। तदनुसार इस मुद्दे का निर्धारण किया जाता है कि आवेदकगण मृतक के आश्रित हैं।

मुद्दा क्र. 2 क्या मृतक संबंधित तिथि को वैध यात्रा टिकट के साथ कथित ट्रेन का सद्‌भाविक यात्री था ?

8. दावा आवेदन के अनुसार दिनांक 03.10.2023 को मृतक अपने एक रिश्तेदार के साथ लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बल्लारशाह रेलवे स्टेशन तक की यात्रा ट्रेन सं. 01127 से कर रहा था। मृतक ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बल्लारशाह तक की यात्रा हेतु अनारक्षित टिकट सं.

85940201 रु.500/-, दो व्यक्तियों के लिए दिनांक 03.10.2023 खरीद किया था जिसे दावा आवेदन के साथ एक्जीबीट ए-4 पर दाखिल किया गया है।

9. प्रतिवादी रेलवे ने कहा कि उक्त घटना के संबंध में बनाए गए घटनास्थल पंचनामा और इन्कवेस्ट पंचनामा में मृतक के पास से कोई रेल यात्रा टिकट जब्त नही हुआ है इसलिए मृतक ट्रेन का सद्भाविक यात्रा नही था।

10. डीआरएम रिपोर्ट के साथ संलग्न आरपीएफ/ मलकापुर द्वारा बनाए गए अनपेक्षित दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण (फार्म सं. 02) के मद सं.20, 21 और 22 में उल्लेखित है कि शहर पुलिस, नागपुर द्वारा किए गए जांच में दिनांक 03.10.2023 को निकाले गए 02 जनरल टिकट जब्त किए गए है। दिनांक 03.10.2023 का जनरल टिकट सं. UFP 85940201 LTT to BPQ संलग्न किया है जो CRB/BB द्वारा सत्यापित किया गया है।

11. उक्त टिकट का सत्यापन मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (पीएम), पी.आर.एस. कंप्यूटर केंद्र, सीएसटी, मुंबई द्वारा किया गया। जिसमें उन्होंने सत्यापित किया कि टिकट सं. UFB 85940201 दिनांक 03.10.2023 को 20.39 बजे एलटीटी टर्मीनल सं.01C से एलटीटी से बल्लारशाह तक के लिए जारी किया गया था। उक्त टिकट का यूटीएस सं. 94K9DMF6A6 रु. 500/-, दो वयस्क के लिए जारी किया था। प्रतिवादी रेलवे यह साबित नही कर पाया कि रिकार्ड पर दाखिल उक्त टिकट मृतक की नही है या उक्त टिकट पर मृतक यात्रा नही कर रही थी। उपरोक्त तथ्यों से यह मानना होगा कि मृतक वैध यात्रा टिकट के साथ सद्भाविक यात्री के नाते से यात्रा कर रहा था। तदनुसार इस मुद्दे का निर्धारण आवेदकों के पक्ष में किया जाता है।

मुद्दा क्र.3 क्या मृतक की मृत्यु रेल अधिनियम की धारा 124-ए (धारा 123 (सी) के साथ पठित) के अनुसार दावा आवेदन में अभिकथित अनपेक्षित दुर्घटना की वजह से हुई?

12. दावा आवेदन के अनुसार दिनांक 03.10.2023 को मृतक लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बल्लारशाह तक की यात्रा अपने रिश्तेदार के साथ ट्रेन सं. 01127 से वैध रेल यात्रा टिकट सं. 85940201 रु. 500/- दो वयस्क के लिए खरीदकर कर रहा था। वे दोनों ट्रेन की जनरल बोगी में बैठकर यात्रा कर रहे थे। दिनांक 04.10.2023 को सुबह मृतक ट्रेन के शौचालय जा रहा था उसी समय ट्रेन को लगे जोर के झटके के कारण उसके शरीर का संतुलन बिगड गया जिसके कारण वह मलकापुर और नांदुरा स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और गंभीर रुप से जख्मी हो गया। सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नागपुर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

13. प्रतिवादी रेलवे ने कहा कि इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नही है । एसएसई /पीवे की रिपोर्ट के अनुसार मलकापुर रेलवे स्टेशन से नांदुरा रेलवे स्टेशन के बीच का ट्रैक रेल यातायात के लिए फिट था । अतः ट्रेन को जर्क या झटका लगने का कोई प्रश्न ही नही उठता । ट्रेन सं. 01127 के ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट या किसी अन्य यात्रियों द्वारा ट्रेन से किसी यात्री के गिरने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नही हुई थी । यह मामला मृतक की लापरवाही, स्वयं अधिरोपित चोट और आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आता है । अतः प्रतिवादी रेलवे आवेदकों को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है ।

14. परंतु प्रतिवादी रेलवे के इस प्रतिवाद को स्वीकार नही किया जा सकता है दिनांक 04.10.2023 को 07.00 बजे ऑन ड्यूटी DYSS/ NN ने प्रधान आरक्षक / आरपीएफ को मौखिक सूचना दी कि KJL-NN स्टेशन के बीच डाउन ट्रैक के बाजू में KM 517/2-4 पर एक अज्ञात व्यक्ति जख्मी अवस्था में पड़ा है । DYSS/NN द्वारा किसी प्रकार का मेमो जारी नही किया गया ।

15. घटना के पश्चात जीआरपी/ नांदुरा ने मृतक का घटना स्थल पंचनामा (एक्जीबीट ए-6) और मरणोत्तर पंचनामा (एक्जीबीट ए-7) बनाया गया । घटना स्थल पंचनामा में मृतक की मृत्यु चलती गाडी से गिरने के कारण हुई होने का उल्लेख है ।

16. इस घटना के संबंध जांच के दौरान दिए अपने बयान में श्री श्याम बाबूराव इंगले/ ट्रैकमैन ने अपने बयान में बताया कि दिनांक 04.10.2023 को उसकी ड्यूटी के दौरान समय 07.00 बजे पैट्रोलिंग के दौरान किमी सं. 517/02-04 पर डाउन ट्रैक के बाजू में एक अज्ञात व्यक्ति को अचेत अवस्था में पडा हुआ देखा । उसके पश्चात श्री स्वप्निल भालतिलक / PWI को मोबाइल से सूचित किया । उनके आदेशानुसार प्रथम अवेलेबल वाहन से जख्मी को नांदुरा स्टेशन तक लाया और प्राइवेट ऑटो रिक्शा से उस जख्मी व्यक्ति को उप सामान्य सरकारी हॉस्पिटल/नांदुरा में लेकर गया ।

17. उपरोक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि यह घटना रेलवे स्टेशन परिसर में हुई है इसलिए रेलवे अपनी स्ट्रीक्ट लाइबिलिटी से बच नहीं सकती । यदि कोई अधिकृत यात्री यात्रा के दौरान चलती ट्रेन से स्टेशन पर या मिड सेक्शन में गिरकर जख्मी होकर मृत या घायल हो जाए तो इसे अनपेक्षित दुर्घटना ही माना जाएगा । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 4945/2018 (Special Leave Petition (Civil) No.10223 @ D.No.6059/2018) भारत संघ बनाम रीना देवी में दिनांक 09 मई 2018 को पारित आदेश एवं दिशानिदेश के तहत चलती गाड़ी में चढ़ते समय या उतरते समय घटित घटना को अनपेक्षित दुर्घटना माना गया है ।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सिविल अपील सं. 4945/2018 भारत संघ बनाम रीना देवी के मामले में पैरा 16.6 में यह माना है कि

" ....Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de-boarding a train will be an 'untoward incident' entitling a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त दर्शाए गए रीना देवी के मामले के पैरा 16.1 में यह भी उल्लेख किया गया है कि -

"......In Prabhakaran Vijaya Kumar (supra) it was held that Section 124A lays down strict liability or no fault liability in case of railway accidents. Where principle of strict liability applies, proof of negligence is not required."

19. पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो कि मृतक की मृत्यु यात्रा के दौरान ट्रेन से गिरने में नही हुई थी । अतः उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर यह निर्णीत किया जाता है कि मृतक की मृत्यु यात्रा के दौरान ट्रेन से गिरकर हुई है । अतः मृतक की मृत्यु रेल अधिनियम की धारा 124-ए (धारा 123 (सी)) में अभिकथित अनपेक्षित दुर्घटना के अंतर्गत आती है । प्रतिवादी रेलवे, आवेदकों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है । अतः यह मुद्दा आवेदकों के पक्ष में उत्तरित किया जाता हैं ।

मुद्दा क्र.4 राहत ?

20. मुद्दा क्रमांक 2 और 3 आवेदकों के पक्ष में उत्तरित होने के कारण यह माना जा सकता है कि मृतक ट्रेन का सद्भाविक यात्रा था और अनपेक्षित दुर्घटना में मृत हुआ था । आवेदक मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अतः इस मामले में निम्न आदेश पारित किया जाता हैः-

आदेश

21. यह दावा आवेदकों के पक्ष में निर्णीत किया जाता है । प्रतिवादी रेलवे द्वारा आवेदकों को रु.8,00,000/- (रु. आठ लाख मात्र) का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है । आवेदकों को दुर्घटना की तिथि से भुगतान की तिथि तक मुआवजा राशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी प्रदान किया जाता है । मुआवजा राशि का वितरण निम्नानुसार है –

आवेदक का नाम	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि का वितरण	
		नकद राशि	एन्यूटी राशि / सावधि जमा राशि
शिवशंकर मुरली निषाद	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-
फूला पत्नी शिवशंकर निषाद	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-

22. जहाँ तक मुआवजे की राशि के वितरण का प्रश्न है, गीता देवी बनाम भारत संघ (एफ.ए.ओ. 22/2015 एवं सीएमए 4501/2015) दिनांक 24 मई, 2019, मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निम्न बातों पर गौर कर आदेश पारित किया गया –

5. As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990

1.1 Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of amounts guaranteed under the awards. There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field. The scope for such exploitation is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action. The availability of bulk funds in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation. A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour. Earlier, this Court has involved 21 Nationalised Banks in dialogue to evolve a scheme of annuities for disbursement of claims. They have been ordered already to be implemented in this case, vide directions passed on 22nd February, 2019. This scheme as applied to motor accident claims has been approved by the Supreme Court in its order dated 05th March, 2019 in Krishnamurthi v New India Insurance Company, SLP (C) No.31521-31522 OF 2017. A statutory rule backing will, therefore, best serve the interest of litigant….."

23. माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुपालन में भारत सरकार ने दिनांक 3 जून 2020 को अधिसूचना क्र.जीएसआर (ई) 347 जारी करते हुए रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 को संशोधित किया जो निम्नानुसार हैः-

"5. Mode of Payment -

5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimant, having due regard to the illiteracy or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annuities, fixed deposits or other suitable mode as shall subserve justice.

5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.

5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursal for reasons to be stated in writing depending on the exigencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.

5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon'ble High Court of Delhi in FAO No. 22/2015 and CM Application No. 4501/2015 in Geeta Devi Vs Union of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.

24. अतः दिनांक 03 जून 2020 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 के अनुपालन के अनुसार वर्तमान केस में मुआवजा राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाता हैः-

25. आवेदक क्र.01 और 02 को प्रदान की गई मुआवजा राशि में से 10% अर्थात रु. 40,000/- (प्रत्येक) एवं आनुपातिक ब्याज की राशि को उनके बचत बैंक खाते में ईसीएस / एनईएफटी के माध्यम से जमा की जाएगी। आवेदक क्र.01 और 02 की शेष मुआवजा राशि रु. 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार मात्र) प्रत्येक को रु.10,000/- की 36 (छत्तीस) समान भागों में एफ.डी. में विभाजित कर 01 से 36 माह की अवधि के लिए बढ़ते क्रम में निवेश किया जाएगा। बैंक द्वारा प्रतिमाह एक मासिक जमा राशि + ब्याज की एक एफ.डी. को क्रमानुसार आवेदक क्र. 01 और 02 के बैंक खाते में अंतिम एफ.डी. के भुगतान तक जमा कर भुगतान किया जाएगा। इस तरह आवेदकों को उनके मासिक खर्च हेतु मुआवजा राशि की एक एफ.डी. की ब्याज सहित परिपक्वता राशि (Amount of Maturity, including interest) अंतिम एफ.डी. के भुगतान तक प्रतिमाह प्राप्त होती रहेगी।

26. प्रतिवादी रेलवे को निर्देश दिया जाता है कि वह ब्याज सहित मुआवजा राशि को अपर निबंधक द्वारा संचालित रेल दावा अधिकरण, नागपुर के स्युटर मनी (Suitors Money) एकाउंट में इस आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा करे। <u>यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी रेलवे ब्याज सहित मुआवजा राशि को जमा करते समय भुगतान का पूर्ण विवरण जैसे यू.टी.आर नंबर, ब्याज की गणना सहित प्रत्येक आवेदक के मुआवजा राशि का हिस्सा इत्यादि की सूचना पंजीकृत डाक से आवेदकों को देगा एवं इसकी एक प्रति अपर निबंधक और आवेदकों के अधिवक्ता को भी देगा।</u>

27. आवेदकों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते का विवरण इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

28. यदि आवेदक टीडीएस कटौती की छूट के हकदार हैं तो वह फार्म 15-जी या फार्म 15-एच (वरिष्ठ नागरिक) को इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष जमा करें एवं इस स्थिति में मुआवजा राशि से किसी भी प्रकार के टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी।

29. जीएसआर 347 (ई) दिनांक 03 जून 2020 के अनुसार संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5.4.4 के अनुपालन हेतु सावधि जमा के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए:-

I. आवेदकों के बचत खाते या सावधि जमा खाते पर बैंक किसी भी संयुक्त खाते की अनुमति नहीं देगा।

II. इस अधिकरण की अनुमति के बिना आवेदकों की सावधि जमा पर किसी भी प्रकार का लोन, अग्रिम, समय पूर्व भुगतान नहीं होगा।

III. बैंक आवेदकों को किसी भी प्रकार की चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नही करेगा। यद्यपि चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड पहले से जारी किया गया हो तो मुआवजा राशि के भुगतान के पूर्व उसे निरस्त करेगा।

IV. बैंक आवेदकों की पासबुक पर यह प्रविष्टि करेगा कि आवेदकों को चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं और अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नहीं किए जाएंगे । आवेदकों उक्त प्रविष्टि के साथ बैंक की पासबुक इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

30. उपरोक्त आदेशानुसार इस दावे को मंजूर किया जाता है। तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है ।

31. दिनांक 18.03.2025 को खुले कोर्ट में अधिघोषित किया गया ।

32. दावा फाईल अभिलेख विभाग को सुपुर्द की जाए ।

(सैयद निशात अलि)
सदस्य (तकनीकी)

नागपुर.
दिनांक: 18.03.2025
SK#